भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6065

(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

टीवी समाचार चैनलों के लिए टीआरपी का प्रकाशन

6065. श्री इटेला राजेंदरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार टीवी समाचार चैनलों के लिए टीआरपी के प्रकाशन को रोकती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक प्राप्त आपत्तियों और उनमें किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कुछ टेलीविजन समाचार चैनलों को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज तथा अटकलों पर आधारित सामग्री का प्रसारण करते हुए देखा गया। टेलीविजन चैनलों द्वारा ऐसा आचरण संघर्ष या संकट की अवधि के दौरान भी देखा गया है। इससे आम जनता में, विशेषकर उन व्यक्तियों के बीच भय व्याप्त होने की संभावना रहती है जिनके मित्र और परिवारजन ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में ।

तदनुसार, एक एहतियाती उपाय के रूप में, सरकार द्वारा टेलीविजन समाचार चैनलों के लिए टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) की रिपोर्टिंग को चार सप्ताह की अवधि के लिए रोकने के निदेश दिए हैं। इन निदेशों को सभी हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया तथा इनके विरुद्ध अब तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
